बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्याः– 3/अ0प्र0–1–437/2012 1668 /पटना, दिनांक :– 19.10.2020

श्री कुमार राकेश, अधीक्षण अभियंता के तदेन तकनीकी सलाहकार के विरूद्ध वर्ष 2010–11 में मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद के अधीन फेसर रोड़ ईदगाह से धरनीधर रोड भाया बराटपुर अखाड़ा तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण कार्य से संबंधित निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में अनियमितता से संबंधित निगरानी विभाग के पत्रांक 4895 दिनांक 21.08.12 द्वारा प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 254 अनु0 दिनांक 20.01.14 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया।

2. श्री राकेश द्वारा पत्रांक 42 दिनांक 05.01.2015 के माध्यम से समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकार योग्य पाते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2811 अनु0 दिनांक 04.08.2015 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त श्री कमलेश चौधरी, तदेन अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री विश्वबंधु राजीव रंजन, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 039 अनु0 दिनांक 01.07.2016 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री राकेश के विरूद्ध गठित आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने निष्कर्ष में यह मंतव्य दिया गया कि तकनीकी सलाहकार होने के कारण इनका दायित्व था कि एन0 आई0टी0 की त्रुटियों के संदर्भ में अधीक्षण अभियंता को अवगत कराया जाता, किन्तु इनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त उससे सहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के तहत श्री राकेश से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री राकेश के पत्रांक 1240 दिनांक 17.07.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर समर्पित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से यह कहा गया कि आलोच्य निविदा प्रकाशन के पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना की समीक्षा हेतु कार्यपालक अभियंता द्वारा अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। अधीक्षण अभियंता एवं तकनीकी सलाहकार को इसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई थी। मामले की समग्र समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि समाचार पत्रों के माध्यम से आलोच्य निविदा की सूचना प्राप्त होने के बावजूद श्री राकेश द्वारा योजना के निविदा आमंत्रण पत्र की समीक्षा नहीं की गई जिसके कारण निविदा का निष्पादन नियमानुकूल नहीं किया गया। उक्त आधार पर श्री राकेश के बचाव बयान को अस्वीकार योग्य पाया गया।

5. उपर्युक्त के आलोक में श्री राकेश के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (vi) के तहत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

6. उक्त विनिश्चत दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 844 अनु0 दिनांक 21.04.2020 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की अपेक्षा की गयी, जिसके आलोक में बिहार लोक

सेवा आयोग के पत्रांक 914 दिनांक 07.08.2020 द्वारा उक्त दण्ड प्रस्ताव पर आयोग की सहमति प्रदान की गयी है।

7. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री कुमार राकेश, अधीक्षण अभियंता के तदेन तकनीकी सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद सम्प्रति जिला अभियंता, पूर्णिया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (vi) के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:–

(i) संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

19.10.20

(कृष्ण मोहन सिंह)

उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–437/2012 1669 /पटना, दिनांक:– 19.10.2020

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को–दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

19.10.20

उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–437/2012 1669 /पटना, दिनांक:– 19.10.2020

प्रतिलिपि:– महालेखाकार, बिहार/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.10.20

उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–437/2012 1669 /पटना, दिनांक:– 19.10.2020

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को आयोग के पत्रांक 05/प्रो0–4–16/2020 (914) लो0से0आ0, दिनांक 07.08.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.10.20

उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–437/2012 1669 /पटना, दिनांक:– 19.10.2020

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/निगरानी विभाग/जल संसाधन विभाग/जिला पदाधिकारी, पूर्णिया/ उप विकास आयुक्त पूर्णिया/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग/ श्री कुमार राकेश, अधीक्षण अभियंता के तदेन तकनीकी सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद सम्प्रति जिला अभियंता, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.10.20

उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–437/2012 1669 /पटना, दिनांक:– 19.10.2020

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19.10.20
उप सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in